V. The Central Warehousing Corporation (Second Amendment) Rules 1990.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : महोदया मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

I. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):--

(i) 1989-90 के वर्ष के लिये हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का छटा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ii) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। [पुस्तकालय में रखी गई (i) और (ii) के लिये। देखिये स० एल०टी० 1647/91]

II. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):--

(i) 1989-90 के वर्ष के लिये भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ii) ब्यूरो के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। [पुस्तकालय में रखी गई (i) और (ii) के लिये देखिये स० एल०टी० 1948/91]

III. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):--

(1) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबंधन (संशोधन) विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० स० 724 (अ), दिनांक 22 अगस्त, 1990।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त, और अन्य मदों पर भर्ती) दूसरा संशोधन विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० सं० 725(अ) दिनांक 22 अगस्त, 1990।

(3) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रयोगशाला तकनीकी पदों पर भर्ती) संशोधन विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० सं० 726(अ), दिनांक 22 अगस्त, 1990।

(4) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा की शर्त और निबंधन) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० सं० 808(अ), दिनांक 21 सितम्बर, 1990।

(5) चित्रा जे० सिरूर अध्यक्ष, भारतीय उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति, बम्बई का भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियुक्त किये जाने के लिये भारतीय मानक ब्यूरो की अधिसूचना सं० का०आ० 376 (अ), दिनांक 26 मई, 1989 को संशोधित करने वाली अधिसूचना सा०का०नि० सं० 850(अ), दिनांक 7 नवम्बर, 1990। [पुस्तकालय में रखी गई (1) से (5) के लिये देखिये सं० एल०टी० 1645/91]

IV. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग), की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में)--

(1) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. सं० 2511 दिनांक 17 अगस्त, 1976 को निरस्त करने वाली का०आ० सं० 616 (अ) दिनांक 7 अगस्त, 1990।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के का०आ० सं० 1837, दिनांक 14 जून, 1986 के आदेश में कतिपय संशोधन करने वाली का०आ० सं० 617(अ), दिनांक 7 अगस्त, 1990।

(3) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के का०आ० सं० 2878 दिनांक 22 अगस्त, 1968 के आदेश में कतिपय संशोधन करने वाली का०आ० 618(अ), दिनांक 7 अगस्त, 1990।